

अज अदालत उपखण्ड मजिस्ट्रेट रायपुर (पाली)

नौरतमरा

बनाम सोहनलाल

एक्ट 05 भरख-पेसा मुकदमा नं. 01 सन् 2023 जीसीएमएस नम्बर 2023/18

नारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए

नौरतमरा

प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी/अप्रार्थीगण पेश किया गया। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी/अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 05 06 वृद्धजन संरक्षण अधिनियम 2007 के तहत दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी एवं अप्रार्थी/अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी संबधित थानाधिकारी को जारी होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 23/01/23 को पेश हो।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट रायपुर (पाली)

बहुलम अनुपस्थित।

आज वकील मण्डल द्वारा न्यायालय में अनुपस्थित/स्थगन रहने का निर्णय लिया गया है। अतः पेशी इतना ही कर पत्रावली आयन्दा दिनांक को पेश हो।

रीडर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

पुनर्पेश

प्राथमी पेश हुई

23/01/23

प्राथमीगण संख्या 01 उपस्थित।  
अप्राथमीगण संख्या 01, 02 उपस्थित।  
प्राथमीगण एवं अप्राथमीगण को द्वापर्वत सुना।  
बहक के दौरान प्राथमीगण संख्या 01 के पति को  
कि अप्राथमीगण एवं उसके परिवार को प्राथमीगण  
के पद पर परिवार से प्रकाश परिवार से खाली  
कर, प्रकाश से बाहर निकालने हेतु निर्देश  
किया है। संख्या 01/02 ने बताया कि मैं पिता  
प्राथमीगण सुन रहा हूँ जिसमें शरण केवल नहीं जाता है  
और वह द्वापर्वत पुत्र है और मेरे बच्चों को  
प्रारण ही और मेरे रहने का एक ही मकान है।  
बहक समाप्त की गई। बहक एवं प्राथमी के अप्रारण  
के पश्चात् प्राथमीगण शरण पोषण नहीं चाहता है  
एवं मकान खाली करके हेतु निर्देश दिया है।  
निर्देश। उक्त अर्ज पर प्रारण पोषण मात्र ही  
है प्राथमीगण द्वारा शरण पोषण नहीं चाहते थे  
उक्त अर्ज पत्र धारा 05, 06 शरण पोषण का खारिज  
किया जाता है प्राथमी केवल सुनाए लेके  
बहक से कर है।

नौरतमरा  
सोहनलाल  
A/C 2023  
जज मंडल

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)